

**FORM NO. |||****फर्द अहकाम  
नियम (26)**

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....  
रमजान उर्फ सदाहत बनाम संबल  
किस्म मु०..... मिसल न०..... 41/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामीत में जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमें प्रार्थी रमजान पुत्र नन्हेखों ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम रमजान पुत्र नन्हेखों नि० अयाना नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 76 मुताबिक खसरा नंबर 1825,1852,1949,1980,2118,2121 में काशतगार का नाम रमजान पुत्र नन्हेखों दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम रमजान पुत्र नन्हेखों के स्थान पर रमजान उर्फ सदाहत पुत्र नन्हेखों नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 14/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> 	